2009:CGHC:11572

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 111/2003

अपीलार्थी **इंदुबाला तिर्की**

बनाम

प्रत्यर्थी **हेरोल्ड कीर्ति कुमार**

जैकब

निर्णय_

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक_ 23-11-2009 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

2009:CGHC:11572

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 111/2003

अपीलार्थी **इंदुबाला तिर्की**

बनाम

प्रत्यर्थी **हेरोल्ड कीर्ति कुमार जैकब**

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ती श्री एन.के. अग्रवाल

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता सहित श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(23.11.2009)

1. यह अपील नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफटीसी), रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 36-अ/2002 में पारित दिनांक 9-4-2003 के निर्णय एवं डिक्री से उद्भूत हुई है, जिसके द्वारा वादी के वाद को डिक्रीत किया गया है।

2. संक्षेप में कथन किये गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

3. रायपुर के बैरन बाजार के छोटापारा वार्ड में प्लॉट क्रमांक 20/1, ब्लॉक क्रमांक 18 में स्थित वादग्रस्त गृह का स्वामित्व सैमुअल क्लेशन जैकब के पास है। उक्त सैमुअल क्लेशन जैकब निःसंतान थे। वादी उनका भतीजा है। प्रतिवादी बचपन से ही उनके साथ रह रही थी और उक्त सैमुअल क्लेशन जैकब उसे अपनी दत्तक पुत्री मानते थे। दिनांक 5-3-90 को उन्होंने प्रतिवादी के पक्ष में वादग्रस्त गृह को उसके पक्ष में वसीयत करने के लिए एक वसीयतनामा निष्पादित किया। उन्होंने दिनांक 5-3-90 का

2009:CGHC:11572

वसीयतनामा निरस्त कर दिया और दिनांक 7-9-95 को वादी के पक्ष में एक और वसीयतनामा निष्पादित किया। इसके बाद कथित वसीयतनामा दिनांक 5-10-95 को उनके द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित किया जाना कथन किया गया है। इस बीच, उन्होंने रायपुर छोड़ दिया और कोलकाता चले गए जहां दिनांक 18-12-95 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया और रायपुर में ही दफनाया गया। वादी के आवेदन पर, उक्त वादग्रस्त गृह नगरपालिका के अभिलेख में उसके नाम पर नामांतरित है। उक्त कार्यवाही में, प्रतिवादी ने उसके पक्ष में दिनांक 5-10-95 की वसीयत के निष्पादन का खुलासा नहीं किया। प्रतिवादी ने नजूल अधिकारियों के समक्ष पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और स्वयं को मृतक सैमुअल क्लेशन जैकब का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा किया और उसके पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण किया। वादी ने प्रतिवादी को बेदखली का नोटिस जारी किया, जो वादी के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के रूप में वादग्रस्त गृह के कब्जे में है। प्रतिवादी ने नोटिस पर अपना जवाब भेजकर वादी द्वारा दावा किए गए अधिकार का खंडन किया और कहा कि उक्त वसीयत को बाद में मृतक सैमुअल क्लेशन जैकब द्वारा निरस्त कर दिया गया था और उसके पक्ष में दिनांक 5-10-95 को अंतिम वसीयत निष्पादित की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 7-9-95 के वसीयतनामे के आधार पर वादग्रस्त गृह पर अपने स्वत्व की घोषणा, कब्जे और क्षतियों के लिए अनुतोष की मांग करते हुए वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने अपना लिखित कथन दाखिल करके वादी द्वारा दावा किए गए अधिकार का खंडन किया और अभिवचन किया है कि दिनांक 7-9-95 का कथित वसीयत अस्पष्ट है; उक्त वसीयत को मृतक द्वारा दिनांक 5-10-95 के वसीयतनामे के माध्यम से पहले ही निरस्त कर दिया गया है; वास्तव में वादग्रस्त गृह उसने और उसके पति ने *बेनामी* रुप से मृतक के नाम पर क्रय किया था और वह उस संपत्ति में अपने अधिकार से रह रही है।

2009:CGHC:11572

5. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वादी को दिनांक 7-9-95 के वसीयतनामे के अनुसार वादग्रस्त गृह का स्वामित्व प्राप्त हुआ था; प्रतिवादी वाद संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करने में विफल रही; दिनांक 5-1-95 का वसीयतनामा अत्यधिक संदिग्ध है और प्रतिवादी को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता है; और वाद का निर्णय वादी के पक्ष में सुनाया। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत जायसवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 7-9-95 का वसीयतनामा अस्पष्ट है; इसे मृतक द्वारा दिनांक 5-10-95 के वसीयतनामे द्वारा निरस्त किया गया था, जो अपीलार्थी/प्रतिवादी को वाद की संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करने वाली अंतिम वसीयत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 5-10-95 के अंतिम वसीयतनामे को संदिग्ध मानकर त्रुटि की है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि 8 संदिग्ध परिस्थितियों, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इंगित किया है, को वसीयत को अविश्वसनीय बनाने के लिए संदिग्ध परिस्थितियां नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 5-10-95 के अंतिम वसीयतनामे पर अविश्वास करके और दिनांक 7-9-95 के वसीयतनामे पर विश्वास करके त्रुटि की है। इसके लिए उन्होंने **एच. वेंकटचला अयंगर बनाम एन.थिम्माजम्मा एवं अन्य के मामले एआईआर 1959 एससी 443** में प्रकाशित किए गए, **सुरेंद्र पाल एवं अन्य बनाम डॉ. (श्रीमती) सरस्वती अरोड़ा एवं एक अन्य, 1974 एससी 1999** में प्रकाशित किए गए, **इंदु बाला बोस एवं अन्य बनाम मनिंद्र चंद्र बोस एवं एक अन्य, एआईआर 1982 एससी 133** में प्रकाशित किए गए, **मधुकर डी. शेंडे बनाम ताराबाई अबा शेडेज, (2002) 2 एससीसी 85** में प्रकाशित किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है।उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि निर्विवाद रूप से प्रतिवादी सैमुअल क्लेशन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:11572

जैकब की दत्तक पुत्री थी, जिसने वर्ष 1990 में अपने पक्ष में एक वसीयत भी निष्पादित की थी, जिसे संदिग्ध परिस्थितियों में निरस्त कर दिया गया था और दिनांक 7-9-95 को एक और वसीयत निष्पादित की गई थी और इसमें त्रुटि पाते हुए, उन्होंने तुरंत प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत को फिर से निष्पादित किया। मामले की इस तथ्यात्मक स्थिति में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम वसीयत, अर्थात् दिनांक 5-10-95, जो अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित की गई थी, पर अविश्वास करने में घोर त्रुटि की है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में एकमात्र विवाद्यक दिनांक 5-10-95 (प्र. डी-1) की वसीयत की प्रामाणिकता से संबंधित है और उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 9 में उल्लिखित 8 संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर इस वसीयत को उचित रूप से अविश्वसनीय माना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उक्त वसीयत निम्नलिखित कारणों से भी दूषित और अप्रभावी है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. वसीयत का प्रारूप, जिसमें पंक्तियों के बीच की जगह को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर भी सम्मिलित किए जा सकें, इस प्रकार के प्रारूप से पता चलता है कि हस्ताक्षर कोरे कागज़ पर कपटपूर्वक लिए गए थे और विषय-वस्तु को बाद में टंकित किया गया था।

ii. यह अत्यंत असंभाव्य है कि यद्यपि साक्षियों के नाम टंकित किए गए हैं, फिर भी वसीयतकर्ता का नाम हाथ से लिखा गया है और वसीयतकर्ता शब्द के नीचे भी लिखा है, जबकि हस्ताक्षर उक्त शब्द के ऊपर किए जाने थे।

2009:CGHC:11572

iii. यह भी प्रतीत होता है कि संपूर्ण प्रयास इस बात का था कि विषय-वस्तु एक ही पृष्ठ में समा जाए जिस पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर कपटपूर्वक प्राप्त किए गए थे।

iv. वसीयत की विषयवस्तु भी अलंकरणों से भरी है जो न केवल वसीयतकर्ता के आशय को दर्शाती है, बल्कि प्रतिवादी की व्याकुलता को ज्यादा दर्शाती है, जिसमें उन्होंने पिछली पंजीकृत वसीयत का विवरण दिया है, बिना यह बताए कि प्रारूप-कर्ता (वसीयत का मसौदा तैयार करने वाला व्यक्ति) को विवरण कैसे मिले, जबकि वह स्वीकार करती है कि उसे संपत्ति और बैंक खाते के विवरण के अलावा कोई अन्य दस्तावेज़ नहीं दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

V. वसीयत में यह भी कहा गया है कि लाभार्थी को वसीयत के आधार पर पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो वसीयतकर्ता की तुलना में प्रतिवादी की व्याकुलता और उद्देश्य को और अधिक दर्शाता है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि उसने वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद दिनांक 27-10-2001 को पट्टा प्राप्त किया था।

vi. वसीयत में यह भी कहा गया है कि संपत्ति वास्तव में प्रतिवादी और उसके पति के धन से खरीदी गई है, हालाँकि साथ ही वह दावा करती है कि उसे वसीयत के आधार पर ही संपत्ति विरासत में मिली है। यह प्रतिवादी की जल्दबाजी और व्याकुलता को भी दर्शाता है।

vii. वसीयत में यह भी कहा गया है कि वादी के पक्ष में दिनांक 7-9-1995 के पूर्व वसीयत प्रपीडन द्वारा प्राप्त की गई थी, हालाँकि यह मानना अत्यंत बेतुका है कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कलकत्ता में रहता था और जिस समय दिनांक 7-9-95 की वसीयत निष्पादित की गई थी, वह वसीयतकर्ता से संबंधित था। इतनी दूर बैठे किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने की संभावना को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

8. श्री शर्मा आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि "वसीयत" को सभी अवसरों पर एक विधिवत दस्तावेज माना जाए और वसीयत की व्याख्या और निष्पादन का निर्णय निष्पादन के समय प्रचलित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए और साथ ही वसीयतकर्ता के आशय और मानसिक स्थिति को समझने का हर संभव प्रयास किया जाए ताकि वसीयतकर्ता के आशय का सटीक पता लगाया जा सके। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, श्री शर्मा एआईआर 1951 एससी 103 में प्रकाशित किए गए **गनम्बल अम्मल - बनाम राजू अय्यर**, **कल्याण सिंह बनाम श्रीमती छोटी और अन्य**, एआईआर 1990 एससी 396 में प्रकाशित किए गए, **जसवंत कौर बनाम अमृत कौर**, एआईआर 1977 एससी 74 में प्रकाशित किए गए और **युमनाम ओंगबी तंपा इबेमा देवी बनाम युमनाम जॉयकुमार सिंह** (2009) 4 एससीसी 780 में प्रकाशित किए गए मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले, वसीयत के उचित निष्पादन, सत्यापन और प्रमाण के संबंध में विधिक स्थिति पर विचार करना उचित होगा।

11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि प्रत्येक स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, जो नाबालिग न हो, अपनी संपत्ति का निपटान वसीयत द्वारा कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, वसीयत या वसीयत का कोई भी भाग, जिसका निर्माण कपट या प्रपीड़न द्वारा, या ऐसे दबाव के कारण हुआ हो जो वसीयतकर्ता की स्वतंत्रा को छीन लेता हो, अमान्य है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 वसीयत के विधिवत निष्पादन की प्रक्रिया प्रदान करती है।

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलिपि के प्रमाण की बात कही गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने प्रस्तुत दस्तावेज पर हस्ताक्षर या लेखन किया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, वसीयत जैसे दस्तावेज़ को तब तक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से कम से कम एक सत्यापनकर्ता साक्षी को नहीं बुलाया जाता, बशर्ते कि कोई सत्यापनकर्ता साक्षी जीवित हो और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो तथा साक्ष्य देने में सक्षम हो।

13. **<u>एच. वेंकटचला अयंगर</u>** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 67, 68, 45 और 47 पर विचार करने के बाद, वसीयत के प्रमाण के मामले में, कंडिका 18 से 22 और 39 में निम्नलिखित अवधारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "18. वसीयत के प्रमाण के मामले में वास्तविक विधिक स्थिति क्या है? यह सर्वविदित है कि वसीयत का प्रमाण न्यायालयों में निर्णय के लिए एक आवर्ती विषय प्रस्तुत करता है और इस विषय पर बड़ी संख्या में न्यायिक निर्णय दिए गए हैं। वसीयत प्रस्तुत करने वाला या वसीयत के तहत अन्यथा दावा करने वाला पक्ष निस्संदेह एक दस्तावेज़ को साबित करना चाहता है और यह तय करते समय कि इसे कैसे साबित किया जाए, हमें अनिवार्य रूप से उन वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेना होगा जो दस्तावेज़ों के प्रमाण को नियंत्रित करते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 और 68 इस उद्देश्य के लिए सुसंगत हैं। धारा 67 के तहत, यदि किसी दस्तावेज़ पर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का आरोप है, तो उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को उसके हस्तलेख में साबित किया जाना चाहिए, और ऐसा साबित करने के लिए अधिनियम की धारा 45 और 47 के अंतर्गत हस्तलेखन के संबंध में, विशेषज्ञों और संबंधित व्यक्ति के हस्तलेखन से परिचित व्यक्तियों की राय सुसंगत मानी जाती है। धारा 68, विधि द्वारा

2009:CGHC:11572

सत्यापित किए जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेज़ के निष्पादन के प्रमाण से संबंधित है; और यह प्रावधान करती है कि ऐसे दस्तावेज़ को तब तक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से कम से कम एक सत्यापनकर्ता साक्षी को न बुलाया जाए। ये प्रावधान उन आवश्यकताओं और प्रमाण की प्रकृति को निर्धारित करते हैं जिन्हें न्यायालय में किसी दस्तावेज़ पर निर्भर करने वाले पक्ष को पूरा करना होगा। इसी प्रकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धाराएँ 59 और 63 भी सुसंगत हैं। धारा 59 में प्रावधान है कि प्रत्येक स्वस्थचित्त व्यक्ति, जो नाबालिग न हो, वसीयत द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान कर सकता है और इस धारा के तीन उदाहरण इस संदर्भ में "स्वस्थचित्त व्यक्ति" शब्द का अर्थ दर्शाते हैं। धारा 63 के अनुसार, वसीयतकर्ता वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएँगे और हस्ताक्षर या चिह्न इस प्रकार बनाए जाएँगे कि ऐसा प्रतीत हो कि इसका उद्देश्य लिखित रूप को वसीयत के रूप में प्रभावी बनाना हो । इस धारा में यह भी आवश्यक है कि वसीयत को निर्धारित अनुसार दो या अधिक साक्षियों द्वारा सत्यापित किया जाए। इस प्रकार, यह प्रश्न कि प्रस्तुतकर्ता द्वारा स्थापित वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत साबित होती है या नहीं, इन प्रावधानों के आलोक में तय किया जाना चाहिए। क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या वह वसीयत में निहित प्रावधानों की प्रकृति और प्रभाव को समझता था? क्या उसने वसीयत में निहित बातों को जानते हुए भी उस पर हस्ताक्षर किए थे? सामान्यतः कहा जाए तो, इन प्रश्नों का निर्णय ही वसीयत के प्रमाण के प्रश्न पर निष्कर्ष की प्रकृति निर्धारित करता है। यह कहना प्रथम दृष्टया सत्य होगा कि वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा निर्धारित सत्यापन की विशेष आवश्यकताओं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को छोड़कर, किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह साबित करना होगा। अन्य दस्तावेज़ों के प्रमाण की तरह, वसीयत के प्रमाण के मामले में भी गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। लागू किया जाने वाला परीक्षण ऐसे मामलों में विवेकशील मन की संतुष्टि का सामान्य परीक्षण होगा।

19. हालाँकि, एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो वसीयत को अन्य दस्तावेज़ों से अलग करती है। अन्य दस्तावेज़ों के विपरीत, वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु की सूचना देती है, और इसलिए, जब इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है या प्रतिपादित किया जाता है, तो दिवंगत वसीयतकर्ता यह नहीं कह सकता कि यह उसकी वसीयत है या नहीं; और यह पहलू स्वाभाविक रूप से इस प्रश्न के निर्णय में गंभीरता का तत्व लाता है कि प्रस्तुत दस्तावेज़ दिवंगत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत साबित होता है या नहीं। फिर भी, वसीयत के प्रमाण के मामले में न्यायालय उसी तरह की जाँच शुरू करेगा जैसे दस्तावेज़ों के प्रमाण के मामले में। प्रस्तुतकर्ता से संतोषजनक साक्ष्य द्वारा यह दर्शाने के लिए कहा जाएगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर थे, कि संबंधित समय पर वसीयतकर्ता स्वस्थ और शांत मन की स्थिति में था, कि वह इच्छाओं के स्वरूप और प्रभाव को समझता था और उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। सामान्यतः जब वसीयत के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य निष्पक्ष, संतोषजनक और वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति तथा विधि द्वारा अपेक्षित उसके हस्ताक्षर को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हों, तो न्यायालयों के लिए प्रस्तुतकर्ता के पक्ष में निर्णय देना उचित होगा। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त आवश्यक तथ्यों के सिद्ध होने पर प्रस्तुतकर्ता का दायित्व समाप्त माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. हालाँकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो। वसीयतकर्ता के कथित हस्ताक्षर बहुत अस्थिर और संदिग्ध हो सकते हैं और प्रस्तुतकर्ता के इस तर्क के समर्थन में दिया गया साक्ष्य कि प्रश्नाधीन हस्ताक्षर, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षर की उपस्थिति से उत्पन्न संदेह को दूर नहीं कर सकता है; वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति बहुत कमजोर और दुर्बल प्रतीत हो सकती है; और प्रस्तुत साक्ष्य वसीयतकर्ता की मानसिक क्षमता के बारे में

2009:CGHC:11572

विधिसम्मत संदेह को दूर करने में सफल नहीं हो सकते हैं; वसीयत में लिए गए निर्णय सुसंगत परिस्थितियों के आलोक में अप्राकृतिक, असंभव या अनुचित प्रतीत हो सकते हैं; या, वसीयत अन्यथा यह संकेत दे सकती है कि उक्त निर्णय वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और मन का परिणाम नहीं हो सकते हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय स्वाभाविक रूप से अपेक्षा करेगा कि दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी विधिसम्मत संदेह पूरी तरह से दूर हो जाने चाहिए। ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक दायित्व को बहुत भारी बना देती है; और, जब तक कि इसे संतोषजनक ढंग से निष्पादित नहीं किया जाता, न्यायलय इस दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत मानने के लिए अनिच्छुक होंगी। यह सत्य है कि, यदि प्रस्तावित वसीयत के निष्पादन के संबंध में अनुचित प्रभाव, उपेक्षा या बल के प्रयोग का आरोप लगाते हुए कोई कैविएट दायर किया जाता है, तो कैविएटर्स को ऐसे अभिवचनों को साबित करना पड़ सकता है; लेकिन, ऐसे अभिवचनों के बिना भी परिस्थितियाँ इस विषय में संदेह उत्पन्न कर सकती हैं कि क्या वसीयतकर्ता वसीयत को निष्पादित करते समय अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य कर रहा था, और ऐसी परिस्थितियों में, मामले में ऐसे किसी भी विधिसम्मत संदेह को दूर करना प्रारंभिक दायित्व का एक हिस्सा होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. जिन संदिग्ध परिस्थितियों का हमने अभी उल्लेख किया है, उनके अलावा, कुछ मामलों में प्रस्तावित वसीयतें एक और कमी को उजागर करती हैं। प्रस्तुतकर्ता स्वयं उन वसीयतों के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं जिनसे उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तुतकर्ता ने वसीयत के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाई है और इसके तहत उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे ही सामान्यतः वसीयत के निष्पादन से जुड़ी एक संदिग्ध परिस्थिति माना जाता है और प्रस्तुतकर्ता से

2009:CGHC:11572

यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा उक्त संदेह को दूर करे। ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों को प्रस्तुत करने वाली वसीयतों के संबंध में ही अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों में अक्सर न्यायिक विवेक की संतुष्टि के परीक्षण का उल्लेख किया जाता है। हो सकता है कि इस संबंध में न्यायिक विवेक का उल्लेख इंग्लैंड के चर्च न्यायालयों द्वारा वसीयतों के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय की गई इसी तरह की टिप्पणियों से विरासत में मिला हो; लेकिन इस संदर्भ में "विवेक" शब्द के प्रयोग पर कोई भी आपत्ति, हमारी राय में, विशुद्ध रूप से तकनीकी और शैक्षणिक होगी, यदि पांडित्यपूर्ण न हो। परीक्षण केवल इस बात पर बल देता है कि, इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, न्यायालय एक गंभीर प्रश्न का निर्णय कर रहा है और उसे पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि इसे वसीयतकर्ता द्वारा वैध रूप से निष्पादित किया गया था, जो अब जीवित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. यह स्पष्ट है कि प्रोबेट के लिए आवेदनों या वसीयत संबंधी वाद में उठने वाले तथ्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय के लिए साक्ष्य के मूल्यांकन हेतु कोई कठोर या अनम्य नियम नहीं बनाए जा सकते। हालाँकि, सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि वसीयत के प्रस्तुतकर्ता को वसीयत के उचित और वैध निष्पादन को सिद्ध करना होगा और यदि वसीयत के निष्पादन से संबंधित कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं, तो प्रस्तुतकर्ता को न्यायालय के मन से उक्त संदेहों को ठोस और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा दूर करना होगा। यह जोड़ना शायद ही आवश्यक है कि इन दो सामान्य और व्यापक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का परिणाम हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। यह बिल्कुल सत्य है कि, जैसा कि लॉर्ड इ पार्क ने हार्म्स बनाम हिंक्सन 50

2009:CGHC:11572

कैल डब्ल्यू एन. 895: एआईआर 1946 पीसी 156 में कहा था, "जहाँ वसीयत पर संदेह का आरोप लगाया जाता है, वहाँ नियम युक्तियुक्त संदेह का आदेश देते हैं, न कि अविश्वास में अड़ियल हठ का। वे न्यायाधीश से, गंभीर संदेह की परिस्थितियों में भी, दृढ़ और अभेद्य अविश्वास की अपेक्षा नहीं करते। उसे कभी भी सत्य के प्रति अपना विवेक बंद करने की आवश्यकता नहीं होती"। ऐसा कहना सामान्य बात लग सकती है, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि ऐसे मामलों में भी सत्य की खोज में न्यायिक विवेक हमेशा खुला, सतर्क, सावधान और सचेत रहना चाहिए।

39. इस संबंध में हम यह जोड़ना चाहेंगे कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने विधिक दृष्टि से स्वयं को गलत दिशा में निर्देशित किया प्रतीत होता है क्योंकि उनका मानना था कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के प्रमाण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वसीयत उसके द्वारा ही निष्पादित की गई थी। इस दृष्टिकोण के समर्थन में विद्वान न्यायाधीश ने सुरेन्द्र नाथ चटर्जी बनाम जाह्नवी चरण मुखर्जी (एआईआर 1929 काल 484) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है। इस मामले में निस्संदेह कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के हस्ताक्षर के प्रमाण या उसकी इस स्वीकृति के आधार पर कि उसने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं, यह माना जाएगा कि उसे उस दस्तावेज़ के प्रावधानों की जानकारी थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं; लेकिन न्यायमूर्ति बी.बी. घोष ने अपने निर्णय में यह भी जोड़ा है कि उक्त अनुमान को संदिग्ध परिस्थितियों के प्रमाण द्वारा खंडित किया जा सकता है और निस्संदेह यही वास्तविक विधिक स्थिति है। किन परिस्थितियों को संदिग्ध माना जाएगा, इसकी सटीक परिभाषा या विस्तृत गणना नहीं की जा सकती। यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा। दुर्भाग्य से, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने वर्तमान मामले में संदिग्ध परिस्थितियों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रभाव का उचित तरीके से आकलन नहीं किया, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं और इससे उनके अंतिम निष्कर्ष में एक गंभीर त्रुटि आई है। संयोग से, हम इस तथ्य का भी उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलार्थी ने उसी दिन वसीयतकर्ता से मुख्तारनामा प्राप्त किया था; और इससे यह तर्क सामने आया है कि अपीलार्थी वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही अपने नियंत्रण में संपत्तियों का कब्ज़ा और प्रबंधन लेने का इच्छुक था। एक और परिस्थिति भी है जिसका उल्लेख किया जा सकता है और वह यह है कि उप-पंजीयक, जिनकी उपस्थिति में उसी दिन दस्तावेज़ पंजीकृत किया गया था, से पूछताछ नहीं की गई है, हालाँकि वे सुनवाई की तिथि पर जीवित थे। इन तथ्यों के आधार पर, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि वसीयत के उचित और विधिसम्मत निष्पादन के प्रश्न पर विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटने में उच्च न्यायालय न्यायोचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. कल्याण सिंह (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वसीयत की वास्तविकता के प्रश्न और अभिलेख पर संतोषजनक सामग्री रखकर संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने के दायित्व पर विचार करते हुए कंडिका 20 में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"20. यह बात लगभग इतनी बार कही गई है कि दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि वसीयत विधि के ज्ञात सबसे प्रभावशाली दस्तावेज़ों में से एक है। वसीयत के निष्पादक को वसीयत के निष्पादन से इनकार करने या उसे निष्पादित करने की परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए, यह आवश्यक है कि वसीयत की वास्तविकता और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए न्यायालय के समक्ष विश्वसनीय और निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँ। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वसीयत के निष्पादन और विधिमान्यता का तथ्य केवल प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करके निर्धारित नहीं किया जा सकता। साक्षियों की विश्वसनीयता का आकलन करने और सत्य को असत्य से पृथक करने के

2009:CGHC:11572

लिए न्यायालय केवल उनके कथनों और आचरण तक ही सीमित नहीं है। न्यायालय साक्ष्य में सामने आई परिस्थितियों या दस्तावेज़ों की प्रकृति और विषयवस्तु से प्रकट होने वाली परिस्थितियों पर विचार कर सकती है। न्यायालय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति पर उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मामले की अंतर्निहित असंभावनाओं के साथ-साथ आसपास की परिस्थितियों पर भी विचार कर सकती है।"

15.सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेन्द्र पाल (पूर्वोक्त) मामले में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59, 61 और 63 पर विचार करते हुए कंडिका 7 में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"7. प्रस्तुतकर्ता को यह दर्शाना होगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे; कि वह संबंधित समय पर स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, कि वह निर्णयों की प्रकृति और प्रभाव को समझता था, कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और उसने उन दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे जिन्होंने उसकी उपस्थिति में और एक-दूसरे की उपस्थिति में इसे प्रमाणित किया था। एक बार ये तत्व स्थापित हो जाने पर, प्रस्तुतकर्ता पर जो दायित्व था वह समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें वसीयत का निष्पादन स्वयं संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हो, जैसे, जहाँ हस्ताक्षर संदिग्ध हों, वसीयतकर्ता कमज़ोर मानसिक स्थिति का हो या अपनी संपत्ति हड़पने के इच्छुक शक्तिशाली लोगों से भयभीत हो, या जहाँ सुसंगत परिस्थितियों के आलोक में निर्णय अप्राकृतिक, असंभव और अनुचित प्रतीत हों, या जहाँ इस बात पर संदेह करने के अन्य कारण हों कि वसीयत के निर्णय वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा और मन का परिणाम नहीं हैं। ऐसे सभी मामलों में जहाँ वैध संदिग्ध परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें संतोषजनक ढंग से वसीयत स्वीकार होने से पहले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समझाया जाना चाहिए। फिर, ऐसे मामलों में जहाँ प्रस्तुतकर्ता ने स्वयं वसीयत के निष्पादन में प्रमुख भूमिका निभाई हो जिससे उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ हो, वह भी उन संदिग्ध परिस्थितियों में से एक है जिन्हें उसे स्पष्ट और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा दूर करना होगा। अंततः न्यायालय के विवेक को ही संतुष्ट करना होगा, इसलिए प्रमाण की प्रकृति और गुणवत्ता उस के विवेक को संतुष्ट करने और किसी भी संदेह को दूर करने की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए जो एक विवेकशील व्यक्ति, मामले की सुसंगत परिस्थितियों में, मन में रख सकता है। (देखें एच. वेंकटचला लायंगर बनाम बी.एन. थिम्माजम्मा (एआईआर 59 एससी 443) और रानी पूर्णिमा देवी बनाम कुमार खगेंद्र नारायण देब (एआईआर 1962 एससी 567)। बाद के मामले में, इस न्यायालय ने, पहले मामले में बताए गए सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए, इस बात पर बल दिया कि जहाँ संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं, वहाँ प्रस्तुतकर्ता का दायित्व होगा कि वह वसीयत को वास्तविक मानने से पहले न्यायालय की संतुष्टि के लिए उन्हें स्पष्ट करे; और जहाँ कैविएटर अनुचित प्रभाव, कपट और प्रपीड़न का आरोप लगाता है, इसे साबित करने का दायित्व उसी का है। यह भी बताया गया है कि संदिग्ध परिस्थितियां वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की वास्तविकता, वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति, वसीयत में किए गए प्रस्तावों के बारे में हो सकती हैं जो सुसंगत परिस्थितियों के प्रकाश में विचार करने पर अप्राकृतिक या अनुचित या असंभव हो सकते हैं। यदि कैविएटर उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है जो उस पर उन परिस्थितियों को स्थापित करने में है जो दर्शाती हैं कि वसीयत कपटपूर्वक या अनुचित तरीके से प्राप्त की गई थी, वसीयत की प्रोबेट आवश्यक रूप से प्रदान की जानी चाहिए यदि यह स्थापित हो जाता है कि वसीयतकर्ता के पास पूर्ण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2009:CGHC:11572

वसीयती क्षमता थी और उसने वास्तव में इसे स्वतंत्र इच्छा और मन से वैध रूप से निष्पादित किया था।

मोतीबाई होर्मुसजी कांगा बनाम जमशेदजी होर्मुसजी कांगा एआईआर 1924 पीसी 28 में प्रिवी काउंसिल की टिप्पणियां उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करती हैं। श्री अम्मर अली ने पृष्ठ 33 पर कहा:

"यह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षमता स्थापित करने का दायित्व याचिकाकर्ता पर है। यह भी स्पष्ट है कि यदि कैविएटर ने इस आधार पर वसीयत पर आपत्ति जताई है कि यह अनुचित प्रभाव, अत्यधिक अनुनय या नैतिक दबाव के प्रयोग से प्राप्त की गई थी, तो उस मामले को स्थापित करने का दायित्व भी उसी पर है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त बातों के आलोक में, यदि एक वैध वसीयत की विभिन्न आवश्यकताएँ स्थापित हो जाती हैं, तो जैसा कि मोतीबाई होर्मुस्जी कांगा के मामले एआईआर 1924 पीसी 28 के पृष्ठ 33 में प्रिवी काउंसिल द्वारा कहा गया है:

"कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण और यहाँ तक कि निर्दयतापूर्वक भी कार्य कर सकता है; यदि वह अपने कार्य की पूरी समझ के साथ कार्य करता है, तो न्यायालय उसकी इच्छा के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

"16. श्रीमती इंदुबाला बोस (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 8 में अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी और हर परिस्थिति "संदिग्ध" परिस्थिति नहीं है। कोई परिस्थिति तब "संदिग्ध" होगी जब वह सामान्य न हो या सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित न हो या किसी सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित न हो।

17. मधुकर डी. शैंडे (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 8 में अभिनिर्धारित किया है कि "न्यायालय के विवेक को वसीयतकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने से संतुष्ट होना होगा ताकि वसीयत से जुड़े किसी भी संदेह या

अप्राकृतिक परिस्थितियों को दूर किया जा सके, बशर्ते कि वसीयत में कुछ अप्राकृतिक या संदिग्ध तथ्य हो। साक्ष्य का विधिक अनुमान या संदेह को विधिक प्रमाण का स्थान लेने की अनुमति नहीं देता है और न ही उन्हें विधिक और ठोस साक्ष्य द्वारा सिद्ध किसी तथ्य को ध्वस्त करने की अनुमति देता है। ठोस संदेह साक्ष्य की गहन जाँच का आधार हो सकता है, लेकिन केवल संदेह ही न्यायिक निर्णय - सकारात्मक या नकारात्मक - का आधार नहीं बन सकता।"

18. उपर्युक्त मामलों में उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से, विधि की निम्नलिखित स्थिति उभर कर आती है:-

i. प्रस्तुतकर्ता को यह दर्शाना होगा कि वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे; वह संबंधित समय पर मानसिक रूप से स्वस्थ था, वह निर्णयों की प्रकृति और प्रभाव को समझता था, उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और उसने उन दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे जिन्होंने उसकी उपस्थिति में और एक-दूसरे की उपस्थिति में इसे प्रमाणित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ii. एक बार ये तत्व स्थापित हो जाने पर, प्रस्तुतकर्ता पर जो दायित्व था वह समाप्त हो जाता है।

iii. जहाँ केवियेटकर्ता अनुचित प्रभाव, कपटपूर्वक और प्रपीड़न का आरोप लगाता है, उसे साबित करने का दायित्व उसी का है।

iv. यदि कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं, तो वसीयत को वास्तविक मानने से पहले न्यायालय की संतुष्टि के लिए उन्हें स्पष्ट करने का दायित्व प्रस्तुतकर्ता का होगा, अर्थात वसीयत के प्रस्तुतकर्ता द्वारा न्यायालय के विवेक को संतुष्ट किया जाना चाहिए ताकि वसीयत से जुड़ी किसी भी संदिग्ध या अप्राकृतिक परिस्थिति को दूर किया जा सके।

2009:CGHC:11572

V. एक ठोस संदेह साक्ष्य की गहन जांच का आधार हो सकता है, लेकिन केवल संदेह ही न्यायिक निर्णय का आधार नहीं बन सकता, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक।

19. अब मामले के तथ्यों पर विचार करते है। पक्षकारों के अभिवचनों और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि दिनांक 5-3-90 की वसीयत, जो प्रतिवादी के पक्ष में थी और दिनांक 7-9-95 की वसीयत, जो वादी के पक्ष में है, के उचित निष्पादन और वास्तविकता के बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं है। प्रतिवादी ने अपने कथन के कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मृतक ने दिनांक 5-3-90 को एक वसीयतनामा निष्पादित किया था जिसे उसने दिनांक 7-9-95 के वसीयतनामा (प्र. पी-1) द्वारा निरस्त कर दिया था। पूरा विवाद इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या दिनांक 5-10-95 (प्र. डी-1) का वसीयतनामा सुस्थापित संदेह या अप्राकृतिक परिस्थितियों से ग्रस्त है जो इसे असत्य मानने के लिए प्रेरित करती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. संशोधित कंडिका 6-क में वादी ने विशेष रूप से अभिवचन दिया है कि निगम अधिकारियों के समक्ष वादी द्वारा दायर नामांतरण आवेदन के जवाब में, प्रतिवादी ने दिनांक 5-10-95 (प्र. डी-1) दिनांकित वसीयत के आधार पर वाद की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जताया और इस प्रकार उक्त वसीयत कूटरचित है। प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन को संशोधित करके उपरोक्त तर्क का खंडन नहीं किया। नजूल अभिलेख में वादग्रस्त भूमि पर अपने नामांतरण के लिए प्रतिवादी द्वारा नजूल अधिकारी (प्र. पी-8) को दिए गए आवेदन के पठन से पता चलता है कि उसने उक्त वसीयत (प्र. डी-1) के आधार पर अपने अधिकार का दावा नहीं किया। नजूल अधिकारी (प्र. पी-9) के समक्ष शपथ पर दिए गए कथन में, उसने उत्तराधिकार के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति पर अपना अधिकार जताया न कि उक्त वसीयत विलेख के आधार पर। वसीयत विलेख प्र. डी-1 के अवलोकन से पता चलता है कि यह सादे कागज पर तैयार

2009:CGHC:11572

किया गया है, कागज के बिल्कुल नीचे दाहिनी ओर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं, जिसमें मृतक का नाम हस्तलिपि में लिखा गया है, जबकि साक्षियों के नाम टाइप किए गए हैं। प्रतिवादी श्री शिव शंकर दुबे द्वारा परीक्षित साक्षी के कथन के कंडिका 2 के अनुसार, वह अचानक टीवी मरम्मत के लिए उस जगह पहुँचे जहाँ प्रतिवादी इंदु बाला तिर्की और अधिवक्ता मुक्ता शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने उनसे (शिव शंकर दुबे) से कागज़ों पर हस्ताक्षर करने को कहा और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इससे यह संदेह उत्पन्न् होता है कि साक्षी के रूप में उनका नाम पहले से ही टाइप कैसे किया गया था।

21. अभि. सा. 2 मोहम्मद जलील, जो कथित तौर पर दिनांक 5-3-90 को निष्पादित वसीयतनामा और दिनांक 7-9-95 के वसीयतनामा का साक्षी था, के कथन के अनुसार, मृतक और प्रतिवादी के बीच संबंध कटु हो गए थे। मृतक ने स्वयं उसे प्रतिवादी और उसके पति से अपनी जान को खतरा होने की बात बताई थी, इसलिए उसने प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित दिनांक 5-3-90 की पूर्व वसीयत को निरस्त करते हुए वादी के पक्ष में बाद की वसीयत (प्र. पी-1) निष्पादित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वसीयतनामा (प्र. डी-1) का वाचन अत्यंत अस्वाभाविक है क्योंकि यह अत्यंत अस्वाभाविक है कि एक वसीयतकर्ता वसीयत में यह अधिकार दे कि वसीयतकर्ता वास्तव में संपत्ति का स्वामी है और वह केवल एक बेनामी स्वामी है जैसा कि प्र. डी-1 में लिखा गया है।

23. विचारण न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित परिस्थितियों सहित उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखने और ऊपर उल्लिखित विधिक प्रस्ताव को लागू करने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट होगा कि उक्त वसीयत अत्यधिक संदिग्ध है। वसीयत विलेख प्र. **D**-1 दिनांक 5-10-95 की संरचना और सामग्री को देखते हुए, यह अत्यधिक असंभाव्य है कि कोई व्यक्ति वसीयत विलेख में कहेगा कि उक्त संपत्ति उसकी नहीं है, बल्कि वह इसे बेनामी के रूप में रखता है; वसीयत विलेख प्र. **D**-1 के आधार पर अपने अधिकार का दावा करने के बावजूद, नजूल अधिकारियों और निगम अधिकारियों के

समक्ष खुलासा न करना वसीयत की वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है; मोहम्मद जलील का कथन खंडन करने योग्य नहीं है। यदि सत्यापन करने वाला साक्षी एक संयोगवश साक्षी था, जो अचानक टीवी की मरम्मत के लिए उस स्थान पर आया था, तो दस्तावेज का साक्षी होने के लिए उसकी पूर्व सहमति के बिना, उसका नाम प्र. डी.-1 पर कैसे टाइप किया गया है?

24. विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि संदिग्ध परिस्थितियाँ प्रकृति में मामूली नहीं हैं, बल्कि न्यायालय के मन में उनकी वास्तविकता के बारे में उचित संदेह उत्पन्न करती हैं। स्थापित विधिक सिद्धांत के अनुसार, प्रतिवादी को ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, जिसमें वह असफल रही।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि वसीयत विलेख प्र. डी-1 अत्यधिक संदिग्ध परिस्थितियों से ग्रस्त है और वसीयत (प्र. डी-1) पर अविश्वास करते हुए वादी द्वारा दायर वाद पर उचित रूप से निर्णय दिया है।

26. उपरोक्त कारणों से, मुझे प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं मिलता है और यह खारिज किए जाने योग्य है तथा अपील खारिज किया जाता है।

27. इन परिस्थितियों में, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

2009:CGHC:11572

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur